राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण,
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
कंपनी याचिका सीपी (सीएए) 41/सीएचडी/एचआरवाई/2023
से संबंधित
कंपनी आवेदन सीए (सीएए) 28/सीएचडी/एचआरवाई/2023
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230-232 के अधीन)
कंपनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा
टैलेस प्राइवेट लिमिटेड तथा टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड तथा एयर इंडिया लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की संयुक्त योजना के विषय में
तथा

निम्नलिखित के मामले में:

टैलेस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999HR2020PTC111111), कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन गठित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, ब्लॉक 4, वाटिका वन ऑन वन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा-122007

... याचिकाकर्ता कंपनी 1/अंतरणकर्ता कंपनी 1

तथा

टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड (CIN: U62200HR2013PLC111543), कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय इंटेलियन एड्ज, टावर ए, नौवीं एवं दसवीं मंजिल, साऊथ पेरिफेरल रोड, सेक्टर-72, गुरुग्राम, हरियाणा-122101

... याचिकाकर्ता कंपनी 2/अंतरणकर्ता कंपनी 2

तथा

एयर इंडिया लिमिटेड (CIN: U62200HR2007PLC111539), कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लॉक 4, वाटिका वन ऑन वन, सेक्टर 16, एनएच 48, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा-122007

... याचिकाकर्ता कंपनी 3/अंतरिती कंपनी 3

याचिका की सूचना

टैलेस प्राइवेट लिमिटेड तथा टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड तथा एयर इंडिया लिमिटेड (एक साथ "**याचिकाकर्ता कंपनियां**") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की संयुक्त योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्त्ता कंपनियों द्वारा कपंनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत 25 सितम्बर, 2023 को एक संयुक्त द्वितीय प्रस्ताव याचिका ("**याचिका**") दायर की गई थी तथा उक्त याचिका पर चंडीगढ़ में माननीय राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 13 दिसम्बर, 2023 की तारीख निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने वाले कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति की सूचना, अपना अथवा अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ अपना पूरा नाम एवं पता का उल्लेख कर याचिकाकर्ता कंपनियों अथवा उनके अधिवक्ता के पास इस तरह भेजें कि वह याचिकाकर्ता कंपनियों अथवा उनके अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम दो दिन पहले पहुंच जाए। अगर वे याचिका का विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध के कारण अथवा हलफनामे की एक प्रतिलिपि संबंधित सूचना के साथ अवश्य भेजें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की प्रतिलिपि मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा।

दिनांक 10 नवंबर, 2023

हस्ता/-
अतुल वी. सूद,
अधिवक्ता
मोबाइल: +91 9815992288
ईमेल: atulvsood@gmail.com
#3273, सेक्टर 15-डी,
चंडीगढ़ 160015
याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता

हस्ता/-
भरत आपटे
अधिवक्ता
मोबाइल: +91 9999030207
ईमेल: bharat.apte@azbpartners.com
प्लॉट नं. ए8, सेक्टर - 4,
नोएडा, उ.प्र. 201301
याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता